न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू , जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या–50 / 2019
प्रा0पत्र प्रस्तुति दिनांक :–13.06.2019
निर्णय दिनांकः–05.02.2020

उनवान

बद्रीनारायण पुत्र जग्गूराम जाति बलाई निवासी ग्राम प्यावडी तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.) हाल निवासी लक्ष्मीनारायणपुर तहसील आमेर जिला जयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज.)

अप्रार्थी

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी–श्री शंकरलाल चौधरी
प्रतिवादीगण– पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक–05.02.2020

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 910 रकबा 01 बिस्वा, ख0न0 1091 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 1217 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 1227 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 1258 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 1303 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा, ख0न0 1304 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, ख0न0 1434 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 1435 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, ख0न0 1436 रकबा 02 बिस्वा, ख0न0 1437 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 392 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा, कुल किता 12 कुल रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम प्यावडी पटवार हल्का प्यावडी तह0 पीपलू में स्थित हैं। जिसका अंकन खाता संख्या 525 ग्राम प्यावडी जिला टोंक जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 में हो रखा हैं। आवेदक उक्त आराजीयात में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड 1 / 16 हिस्से का तन्हा, खातेदार एवं काबिज काश्तकार हैं। उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम गलत रूप से बद्री पुत्र जंगल्या अंकित कर रखा हैं जबकि आवेदक का सही एवं वास्तविक नाम बद्रीनारायण

खण्ड अधिकारी

पुत्र जग्गूराम हैं। आवेदक के इस नाम से आधार कार्ड, पेन कार्ड, चालक अनुज्ञा पत्र आदि बने हुए हैं। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम त्रुटीवश सहवंन व लिपिकीय भूल के कारण बद्री पुत्र जंगल्या अंकित हुआ हैं। जिसकों सही किया जाकर आवेदक का नाम बद्रीनारायण पुत्र जग्गूराम अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोंचित है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई थी। तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं। जो पत्रावली शुमार हैं। तहसीलदार पीपलू ने रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की हैं।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन को दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं। प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पहचान पत्र एवं ग्राम पंचायत प्यावडी का प्रमाण पत्र प्रति प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पहचान पत्र एवं ग्राम पंचायत प्यावडी एवं तहसीलदार पीपलू से चाही गई वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार, पीपलू की तथ्यात्मक रिपोर्ट पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 525 में वर्णित भूमि आराजी आराजी ख0न0 910 रकबा 01 बिस्वा, ख0न0 1091 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 1217 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 1227 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 1258 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 1303 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा, ख0न0 1304 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, ख0न0 1434 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 1435 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, ख0न0 1436 रकबा 02 बिस्वा, ख0न0 1437 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 392 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा, कुल किता 12 कुल रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम प्यावडी पटवार हल्का प्यावडी तह0 पीपलू जिला टोंक के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम बद्री पुत्र जंगल्या के स्थान पर बद्रीनारायण पुत्र जग्गूराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार पीपलू को निर्णय अनुसार अनुसार पालना कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने हेतु तहरीर जारी हों।

निर्णय आज दिनांक–05.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू